निकलेंगे उनको भी प्रसार भारती और दूरदर्शन में टेक्नीशियंस के पदों की बहाली में निश्चित रूप से आप उन्हें मान्यता देंगे?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, अभी जो सेवा भारती नियम लागू है - 1995 से जो लागू था, वही हमने अपनाया है। उसके बाद 5 जून, 2002 को इसमें अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें हमने मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दी है, लेकिन चूंकि यह भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो गई थी इसलिए 1995 से प्रचालित नियमों के तहत प्रक्रिया को हमने लागू किया है, भविष्य में जब भी हम तकनिशियनों की भर्ती करेंगे तब मान्यता प्राप्त आईटीसी वाले को भी उसमें पात्र माना जाएगा।

*273. [The questioner (Shrimati Savita Sharda) was absent for answer *vide* page 55 *Infra*.]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति

*274. **श्री राम जेठमलानी:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':††

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 2001 के दौरान तथा जून 2002 तक विद्युत, रसायन उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाएं, जिनमें विदेशी निवेश की पेशकश थी, स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं में किए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सितम्बर, 2002 तक जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है, उनका ब्यौरा क्या है और क्षेत्र-वार इनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विद्युत, रसायन, उर्वरक तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग (रूट) के अंतर्गत क्षेत्रवार अनुमोदित निदेश की राशि के साथ अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

क्र॰ सं	क्षेत्र	जनवरी, 2001 से जून, 2002 के बीच की अवधि के प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदन राशि (रुपये करोड़ में)
1.	विद्युत	51	1993.10
2.	रसायन	125	527.45
3.	उर्वरक	02	78.56
4.	पेट्रोलियम सहित तेल रिफाइनरी	36	6221.73

(ख) और (ग) क्षेत्रवार उपर्युक्त अनुमोदनों के प्रति सितम्बर, 2002 तक किये गये निवेश के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

क्र॰ सं	क्षेत्र	कंपनियों द्वारा किये गये प्रेषणों (रेमिटेन्स) की संख्या	निवेशित राशि (रुपये करोड़ में)
1.	विद्युत	39	11.41.66
2.	रसायन	56	648.70
3.	उर्वरक	2	78.40
4.	पेट्रोलियम सहित तेल रिफाइनरी	16	946.46

निजी क्षेत्र में परियोजना विशेष के क्रियान्वयन की निगरानी केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निगरानी की जाती है। सरकार ने विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ आई आई ए) के तहत एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की है, जो कि विदेशी निवेशकों और केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों के बीच एकल-बिंदु संपर्क माध्यम के रूप में कार्य करती है ताकि क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस प्रणाली के तहत, 100.00 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की राशि वाली परियोजनाओं के अनुमोदन धारकों से संपर्क किया जाता है ताकि उनसे परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों, तो उनके बारे में पता लगाया जा सके, और उक्त समस्याओं को एफ आई आई ए द्वारा उठाया जा सके। जनवरी, 2001 से जून, 2002 की अवधि के दौरान, बिजली, रसायन, उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये और अधिक राशि की नौ परियोजनाएं अनुमोदित की गई। इन परियाजनाओं की क्रियान्वयन संबंधी स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)

इसके अतिरिक्त, सभी अनुमोदन पत्रों में, परियोजना के आकार को दृष्टिगत किए बिना, एफ आई आई ए के नोडल अधिकारी का नाम व संपर्क पते का भी उल्लेख किया जाता है, जिसके साथ परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में विदेशी निवेशक को यदि किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी के साथ संपर्क किया जा सके।

विवरण

बिजली, रसायन, उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्र में स्वीकृत की गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वृहत् परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये और अधिक निवेश वाली परियोजनाएं) का विवरण

क्र॰ सं॰	कंपनी	विदेशी सहयोग की तिथि	सहयोगकर्ता	देश	क्षेत्र	इक्विटी (रुपये लाख में)	इक्विटी (%)	राज्य	क्रियान्वयन की स्थिति
1.	मर्करी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि॰	11.12.01	ड्युटसे इंटरनेशनल ट्रस्ट कार्पोरेशन	चैनल आइलैंड	रसायन	11165		तमिलनाडु	क्रियान्वयन के अधीन
2.	ओमनियम फ्रांकेस इंडस्ट्रीयल एल॰ कामर्शियल (ओ एफ आई सी)	18.01.02	ओ टी एस डब्ल्यू ओ एस ऑनड्यूलाइन फ्रांस के माध्यम से ओ एफ आई सी एस॰ए॰	फ्रांस	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	10200	100	महाराष्ट्र	क्रियान्वयन के अधीन नहीं
3.	रिलायंस पेट्रोलियम लि॰	31.07.01	जी डी आर	यूरो निगम (जी डी आर)	तेल रिफाइनरी	500000	14.99	गुजरात	राशि जुटाई नहीं गई
4.	पेट्रोइनर्जी प्रोडक्ट्स कं॰ इंडिया लि॰	30.09.01	टॉरेन होल्डिंग लि॰	यू॰के॰	तेल रिफाइनरी	76000	86	पांडिचेरी	क्रियान्वयन के अधीन नहीं
5.	काल्टेक्स गैस इंडिया प्रा॰लि॰	06.05.02	काल्टेक्स ऑयल कार्पोरेशन	यू एस ए	तेल रिफाइनरी	22910	100	अन्य	क्रियान्वयन के अधीन नहीं
6.	गुजरात पॉवर जैन इनर्जी कार्पोरेशन लि॰	31.08.01	सी एल पी पॉवरजैन इंडिया लि॰	मॉरीशस	बिजली	46666	64.1	गुजरात	क्रियान्वित (अधिग्रहण)
7.	समालापट्टी पॉवर कं॰प्रा॰लि॰	31.01.02	वार्ट सिला इंडिया पॉवर आई एन वी एस टी एस एल	कैमन आईलैंड	बिजली	11580.4	85	तमिलनाडु	क्रियान्वयन के अधीन
8.	इंडो गल्फ कार्पोरेशन लि॰	07.02.02	इंडो भारत इंडस्ट्रियल होल्डिंग कार्पोरेशन	मॉरीशस	बिजली	14400	12.14	उत्तर प्रदेश	क्रियान्वयन के अधीन नहीं
9.	पॉवरजैन इंडिया लि॰	05.04.02	पावरजैन पी एल सी	यू॰के॰	बिजली	61684.17	100	अन्य	कंपनी कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

Approval of FDIs

†*274. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is fact that a number of projects related to power, chemical, fertilizer and petroleum sectors in which foreign investment was proposed, were sanctioned in the country during the year 2001 and upto June 2002;

(b) if so, the details of capital investments made in the projects sanctioned; and

(c) the details of the projects in which implementation has started upto September, 2002 and the capital investment therein, Sector-wise?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The number of proposals approved under Government and RBI route for FDI in power, chemical fertilizer and petroleum sectors along with the amount of investment approved, sector-wise, is given below:

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Sector	Number of Proposals between January 2001-June 2002	Approvals Amount
1	2	3	4
1.	Power	51	1993.10
2.	Chemicals	125	527.45

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Rañjan Singh 'Lalan'.

1	2	3	4
3.	Fertilizers	02	78.56
4.	Oil Refinery including Petroleum	36	6221.73

(b) and (c) The details of the investments made upto September 2002, against the above approvals, sector-wise, is given below:—

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Sector	No. of Remittances made by the companies	Amount Invested
1.	Power	39	1141.66
2.	Chemical	56	648.70
3.	Fertilizer	2	78.40
4.	Oil Refinery including Petroleum	16	946.46

Implementation of individual projects in the private sector is not monitored at the level of Central Government. In the case of public sector projects, the monitoring is done by the Administrative Ministries concerned. Government has put in place an institutional mechanism under the Foreign Investment Implementation Authority (FIIA), which acts as a single-point interface between foreign investors and the various authorities at Central and State level, to resolve implementation related problems. Under this mechanism, approval holders for projects of Rs. 100.00 crore or above are contacted with a view to ascertaining the status of implementation as also implementation related problems, if any, which can be taken up by FIIA. During the period January 2001 to June 2002, nine projects of Rs. 100 crore and above were approved in power, chemical, fertilizer and petroleum sectors. The implementation status of these projects is given in the Statement (*See* below)

In addition to this, all approval letters, irrespective of the size of project, contain the name and contact address of the nodal officer of FIIA who may be contacted in case the foreign investor requires any assistance with regard to implementation of the project.

Statement

Statement of sanctioned FDI Mega Projects (Investment of Rs. 100 crore & above) in Power, Chemical, Fertilizer and Petroleum Sectors

Sl. No.	Company	FC Date	Collaborator	Country	Sector	Equity (Rs. in lakh)	Equity (%)	State	Implementation Status
1.	Mercury infrastrcture Limited	11.12.2001	Deutsche International Trust Corporation	Channel Island	Chemicals	11165		Tamil Nadu	Under Implementation
2.	Omnium Francais Industrial el. Commercial (OFIC)	18.01.2002	OFIC S.A. Through OTS WOS Onduline, France	France	Chemicals (other than Fertilizers)	10200 100		Maharashtra	Not under implementation
3.	Reliance Petroleum Limited	31.07.2001	GDR	Euro Issues (GDR)	Oil Refinery	500000	14.99	Gujarat	Not raised
4.	Petro Energy Products Co. India Limited	30.09.2001	Tourraine Holding Ltd.	U.K.	Oil Refinery	76000	86	Pondicherry	Not under implementation
5.	Caltex Gas India Pvt Ltd.	6.05.2002	Caltex Oii Corporation	USA	Oil Refinery	22910	100	Others	Not under implementation
6.	Gujarat Power Gen Energy Corporation Ltd.	31.08.2001	CLP Powergen India Limited	Mauritius	Power	46666	64.1	Gujarat	implemented (acquisition)
7.	Samalapatti Power Co. Pvt. Limited	31.01.2002	Wart Sila India Power INVSTSL	Cayman Island	Power	11580.4	85	Tamil Nadu	Under implementation
8.	Indo Gulf Corporation Ltd.	7.02.2002	Indo Bharat Industrial Holding Corporation	Mauritius	Power	14400	12.14	Uttar Pradesh	Not under implementation
9.	Powergen India Ltd.	5.04.2002	Powergen PLC	U.K.	Power	61684.17	100	Others	Holding Company Operations

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसका बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय ने सौ करोड़ से अधिक की सूची दी है, जिसमें 9 कंपनियों की सूची है, उसमें क्रमांक 3 पर जो रिलायंस पेट्रोलियम लि० के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में लिखा गया है कि राशि नहीं जुटाई गई तो जो सैंक्शंड एमाउंट थी उसमें कितना विनिवेश इसमें किया गया है और कंपनी के द्वारा जो राशि नहीं जुटाई गई है तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

SHRI ARUN SHOURIE: In the oil refinery sector, one proposal relates to Reliance Industries Limited. As the hon. Member has rightly said, they were to raise US $ 1 billion through GDRs and ADRs. But, they informed us, both, because of the market condition and because of the excess refining capacity in India, at the moment, and secondly, because of the downtrend in the US market after the 9/11, they have deferred the placement of ADRs and GDRs. That is the position.

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि फॉरेन कंपनियों के बारे में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन शुरु हो जाए इसके लिए सरकारी स्तर पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री अरुण शौरी: सर, हॉर्ट ऑफ् दी मैटर यही है क्योंकि इन्फ्लोज़ अब काफी बढ़ गई हैं, पिछले साल से डबल हो गई हैं, इस बार के क्वॉर्टर में भी, फर्स्ट क्वॉर्टर ऑफ् 2002-03 में they are more than double of the first quarter of the last year, but the implementation on the ground remains tardy, because of the familiar problems of land acquisition, power connection and so on. We will try our best to work with the State Governments and local authorities to expedite that. He is right that it is the core of the problem to which we should attend. Sir, a facilitation centre has been set up in the Ministry in which all queries are replied. About 2,000 queries were replied last year. But, I am sure, answering queries is not enough and we should really work with all the authorities so that the projects can, actually, come up.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the hon. Minister has given us the figures with regard to the approval of the FDI. I would, specifically, like to know from him whether the definition of FDI is undergoing a change as per the international practice and whether any group was appointed, specifically, to redefine the way we compute the FDI. If 'yes', what is the status of that?

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, the hon. Member, I am sure, knows the International Financial Corporation had commissioned a study in which they found India has not included several items, as a part of the FDI inflow which other countries, specially China, has included. As a consequence of that study, in October, a Group had been set up. This Expert Group submitted its Report in October. The third meeting to operationalise the recommendations of this Group is scheduled to be held tomorrow. We found that sixteen items, which China and other countries, are including as FDI, going by the IMF Code, are not being included in India and if they were included then, for instance, the figure for last year would not be US $ 2.6 billion, but would be around US $ 6-7 billion.

**275. [The questioner (Shri Ramachandra Khuntia) was absent. For answer vide Page 56.]*

**276. [The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer vide Page 57.]*

न्यायाधीशों की आवश्यकता

*277. **श्री कपिल सिब्बल:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':††

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करना आवश्यक समझती है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) इस समय नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के० जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश-पदसंख्या भारत के संविधान के अनुसार है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश-पदसंख्या का, प्रत्येक उच्च न्यायालय में संस्थित, निपटाए गए और

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।